## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—रूण्ड 3—उप-रूण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

128] ŧi.

नई दिल्ली, शुद्धवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

सा.का.नि. 190(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 124(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2006 में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन)] नियमावली, 2005 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [ (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (दूसरा संशोधन)] नियमावली, 2005 में दिन, माह और वर्ष ''1 अप्रैल, 2006'', के स्थान पर ''1 मई, 2006'' प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी.-16012/1/2005-पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th March, 2006

G. S. R. 190(E).-In the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare No. GSR 124(E) Corrigendum dated 28th February, 2006, to the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment)] Rules, 2005 and the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment)] Rules, 2005, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year "1st day of April, 2006", the day, month and year "1st day of May, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.